संख्या -9/सीपी 506/84-2-2013-सीपी 49/2000

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 7 जनवरी, 2014

विषय दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' के रूप में वृहद कार्यक्रम आयोजित करके मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3541/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि 16/07, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-मु0स0 10/29-8-2004-सीपी 1/87, दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय को समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उपभोक्ता जागरण से सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को आवटित किया गया है, जिसमें 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' (प्रत्येक वर्ष का दिनांक 15 मार्च) तथा 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' (प्रत्येक वर्ष का दिनांक 24 दिसम्बर) का आयोजन करना सम्मिलित है। सुलभ संदर्भ हेतु कार्यालय आदेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in